Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में वादी की भांजी पर जान से मारने की नियत से पैट्रोल डालकर आग लगाने की घटना कारित करने के आरोपी तीरसपाल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 75,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त तीरसपाल पुत्र साहब सिंह निवासी तमेलागढी थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2022 में वादी की भांजी पर जान से मारने की नियत से पैट्रोल डालकर आग लगाने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 123/2022 धारा 302/498A भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 11.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त तीरसपाल को आजीवन कारावास व 75,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री अशोक सैनी
एडीजीसी

है0का0 धर्मेन्द्र कुमार
कोर्ट पैरोकार

विवेचक-निरीक्षक श्री जनक सिंह
(तत्कालीन थाना प्रभारी दोघट)

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice